

धायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :- 13.11.2025

संख्या :- 57/2022

उनवानी दावा:

1. कमलेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति महाजन उम्र बालिग जिला टोक राज0

—वादी—

बनाम

1. कुन्ती पुत्री टीकमचंद जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. निहालचंद पुत्र माता नाथबाई जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बाली बाई पत्नि स्व0 टीकमचंद जाति महाजन निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मुन्ना बाई पुत्री माता नाथ बाई जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. मैना पुत्री टीकमचंद जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. विमलकुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. शांति पुत्री टीकमचंद जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. संजय पुत्र टीकमचंद जाति महाजन उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री ब्रदी प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता वादिया

श्री प्रकाश चंद जैन
अधि. प्रतिवादीगण संख्या
संख्या 2 ता 4 व 9
श्री आलोक कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7
एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1,5 व 8

दावा बाबत विभाजन आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 18.03.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से क्रमांक :भू0अ0/2025/3735 दिनांक 16.07.2025 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट 3735 दिनांक 16.07.2025 का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और कथन किया कि मुताबिक हाल कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2075-78 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 475 खसरा नम्बर 3477 रकबा 1.8000 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ भू0अ0नि0 देवली तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 475 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	कमलेश कुमार पुत्र मदन लाल महाजन सा0 देह खातेदार	3477/1	0.30	बारानी प्रथम
	कुल योग	किता 1	0.30	
2	कुन्ती मैना पुत्रिया बाली बाई पत्नि स्व0 टीकमचंद हिस्सा 3/13 निहालचंद पुत्र मुन्ना बाई पुत्री माता नाथ बाई हि0 10/13 हि.ब. जाति महाजन सा0दे0 खातेदार, निहालचंद मुन्ना बाई का हिस्सा राहिन HDFC Bank Ltd. शाखा देवली	3477/2	0.78	बारानी प्रथम
	कुल योग	किता 1	0.78	
3	शांति पुत्री टीकमचंद महाजन हि0 पूर्ण जाति	3477/3	0.06	बारानी प्रथम


(Handwritten Signature)

दिनांक:- 13-11-2025

	महाजन सा0 दे0 खातेदार			
	कुल योग	किता 1	0.06	
4	संजय पुत्र टीकमचंद महाजन सा0 देह खातेदार	3477/4	0.06	बारानी प्रथम
	कुल योग	किता -1	0.06	
5	महेन्द्र कुमार 1/2 विमल कुमार हि. 1/2 जाति महाजन सा0 देह खातेदार	किता-1	0.06	बारानी प्रथम

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.11.2025 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली (टीक)